पृ.क्र.-

पिछला	अगला

(167)

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी बिना डाक टिकट के भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010—फाल्गुन 7, शक 1931

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ 22-39-98-आठ.—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन इस विषय की तत्संबंधी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, एतद्द्वारा, यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

(क) यान के शीर्ष अग्र भाग पर, लाल बत्ती जब यान प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हो.

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
4. विधान सभा अध्यक्ष
5. मध्यप्रदेश के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. विधान सभा के उपाध्यक्ष
7. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश
8. लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त
9. उपलोकायुक्त/सूचना आयुक्त, म. प्र.

(ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर, पीली बत्ती (उनके अधिकार क्षेत्र में)

1. राज्य शासन द्वारा गठित आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य
2. राज्य शासन द्वारा गठित विभिन्न निगम, मण्डल एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष.
3. संभागीय आयुक्त
4. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
5. परिवहन आयुक्त
6. आबकारी आयुक्त
7. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा
8. जिलाध्यक्ष/जिला दण्डाधिकारी
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

10. मध्यप्रदेश के उपमंत्रीगण/संसदीय सचिव	10. प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी
11. नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा	11. पुलिस अधीक्षक
12. भूतपूर्व मुख्यमंत्री	12. महापौर, नगरपालिक निगम
13. उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल	13. अध्यक्ष, नगरपालिक निगम
14. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग	14. जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग	15. राज्य शिष्टाचार अधिकारी
16. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण	16. उप परिवहन आयुक्त
17. राज्य निर्वाचन आयुक्त	17. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
18. महाधिवक्ता	18. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक.
19. मुख्य सचिव	19. क्षेत्रीय/अतिरिक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन एवं वन विभाग के उड़नदस्तों के प्रभारी अधिकारी.
20. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल	20. जिला सेनानी होमगार्ड
21. प्रमुख सचिव, गृह	21. नगर निरीक्षक, पुलिस/फायर आफीसर
22. प्रमुख सचिव/सचिव विधान सभा	22. जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग के उनके ऊपर के अधिकारी जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं.
23. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश	23. आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी एवं उनके ऊपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है.

(ग) रोगियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त एंबुलेंस में लगाई गई परपल ग्लास वाली ब्लिंकर किस्म की लाल लाइट.

(घ) टॉपलाईट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाइट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकोर्टिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा जो लाल लाइट का उपयोग करने के हकदार हैं.

(ङ) उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथास्थिति, लाल, नीली या पीली लाइट का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढका जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.